रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[सं. 1780] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2015/श्रावण 30, 1937
[No. 1780] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2015/SRAVANA 30, 1937

पर्यावरण, वन और वायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2015

का.आ. 2287(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की प-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की धिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, हरियाणा (जिसे इसमें इसके पश्चात् हरियाणा ाधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, अर्थात् :—

क) श्री भारत भूषण, आईएएस (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष
103/49, सेक्टर-20 पंचकुला, हरियाणा

ख) डा. पुनीत घई, सदस्य
3 1004पी, सेक्टर-3, रेवाड़ी, हरियाणा

ग) निदेशक, सदस्य-सचिव
पर्यावरण विभाग, हरियाणा सरकार

2. हरियाणा प्राधिकरण के अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन र्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. हरियाणा प्राधिकरण, हरियाणा ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा, जो उक्त राजपत्र अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो ।

4. प्राधिकरण हरियाणा के विनिश्चय हरियाणा राज्य के लिए पैरा-5 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर आधारित होंगे ।

5. केंद्रीय सरकार, हरियाणा प्राधिकरण की सहायता के प्रयोजन के लिए, हरियाणा राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, हरियाणा का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे अर्थात् :--

(i)	श्री जी.आर. गोयत, मुख्य इंजीनियर (सेवानिवृत्त), फ्लैट सं. 601, गुड लक, सीजीएचएस 21, सेक्टर 52, गुड़गांव	अध्यक्ष
(ii)	श्री राज कुमार सापरा, आईएफएस प्रबंध निदेशक, हरियाणा वन विकास कारपोरेशन (ह.व.वि.का.), 733 सेक्टर 11, पंचकुला	सदस्य
(iii)	श्री एस.सी. मान, मकान सं. 544, सेक्टर 12-ए, पंचकुला	सदस्य
(iv)	श्री ए.के. भाटिया, मकान सं. 679, सेक्टर 8, पंचकुला	सदस्य
(v)	श्री हितेन्द्र सिंह, वास्तुविद्, वास्तुविद् विभाग, हरियाणा	सदस्य
(vi)	डा. एस.एन. मिश्रा, मकान सं. 220(पहला तल), सेक्टर 14, रोहतक (हरियाणा)	सदस्य
(vii)	सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड	सचिव

IndiaCode

6. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, हरियाणा के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, हरियाणा ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी, जो उक्त राजपत्र अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो ।

8. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, हरियाणा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में मतैक्यता पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि मतैक्यता पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत की राय अभिभावी होगी ।

9. हरियाणा राज्य सरकार, हरियाणा प्राधिकरण और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, हरियाणा के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगी और उसके सभी कानूनी कृत्यों के संबंध में जिसके अंतर्गत आवासन, परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाएं भी हैं, सहित उसे सभी वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन प्रदान करेगी ।

10. हरियाणा प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, हरियाणा के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ते और मंहगाई भत्ते का हरियाणा राज्य सरकार के संबद्ध नियमों के अनुसार संदाय किया जाएगा।

[फा. सं. जे-11013/24/2007-आई.ए.II(I)]

विश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2015

S.O. 2287(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Haryana (hereinafter referred to as the Authority for Haryana) comprising of the following members, namely: -

(a)	Shri. Bharat Bhushan, IAS (Retired.) # 103/49, Sector- 20 Panchkula, Haryana	-	Chairman;
(b)	Dr. Punit Ghai, 3 1004p, Sector- 3, Rewari, Haryana	-	Member;
(c)	Director, Environment Department, Government of Haryana	-	Member Secretary.

2. The Chairman and non-official member of the Authority for Haryana shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority for Haryana shall exercise such powers and follow the procedures as specified in the said notification.

4. The Authority for Haryana shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 for the State of Haryana.

5. For the purposes of assisting the Authority for Haryana, the Central Government, in consultation with the Government of Haryana, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Haryana comprising of the following members, namely :-

(i)	Shri G.R. Goyat, Chief Engineer (Retired), Flat No. 601, Good Luck, CGHS 21, Sector 52, Gurgaon	-	Chairman;
(ii)	Shri Raj Kumar Sapra, IFS Managing Director, Haryana Forest Development Corporation (HFDC), 733 Sector 11, Panchkula	-	Member;
(iii)	Shri S. C. Mann, House No. 544, Sector 12-a, Panchkula	-	Member;
(iv)	Shri A.K.Bhatia, House No. 679, Sector 8, Panchkula	-	Member;
(v)	Shri Hitender Singh, Architect Department of Architecture, Haryana	-	Member;

IndiaCode

(vi)	Dr. S. N. Mishra House No. 220(1st Floor), Sector 14, Rohtak (Haryana)	-	Member;
(vii)	Member Secretary, Haryana State Pollution Board.	-	Secretary.

6. The Chairman and Members of State Level Expert Appraisal Committee, Haryana shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The State Level Expert Appraisal Committee, Haryana shall exercise such powers and follow the procedures as specified in the said notification.

8. The State Level Expert Appraisal Committee, Haryana shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. The Government of Haryana shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority for Haryana and the State Level Expert Appraisal Committee, Haryana, and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Members of the Authority for Haryana and the Chairman and Members of the State Level Expert Appraisal Committee, Haryana shall be paid in accordance with the concerned rules of the Government of Haryana.

[F. No. J-11013/ 24/ 2007- IA.II (I)]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.